



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्ल्यू.बी.-अ.-26082026-275808
CG-WB-E-26082026-275808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4523]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4523]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पूर्व रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

कोलकाता, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4708(अ).— जबकि, रेल मंत्रालय (दक्षिण पूर्व रेलवे/निर्माण संगठन) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4510, का.आ.4639(अ), दिनांक 10 अक्टूबर 2025 द्वारा, जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (ii) में प्रकाशित हुई है (जिसे इसके बाद 'उक्त अधिसूचनाएं' कहा गया है) और जो रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के रूप में उद्धृत) की धारा 20 के उप-धारा (1) के तहत जारी की गई है; केंद्र सरकार ने उक्त अधिसूचनाओं के साथ संलग्न अनुसूची में ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में "बांगरीपोसी-गोरुमहिसानी (85.60 कि.मी.) नई रेल लाइन" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लिए विनिर्दिष्ट भूमि अधिग्रहित करने का निर्णय लिया है।

और, जबकि उक्त अधिनियम की धारा 20 के उप-धारा (4) के तहत, उक्त अधिसूचना संख्या 4510, का.आ.4639(अ), दिनांक 10 अक्टूबर 2025 का सार दैनिक समाचार पत्रों, अर्थात् सम्बाद (ओडिया) में

दिनांक 04.12.2025 और 'द टाइम्स ऑफ़ इंडिया'(अंग्रेज़ी) के भुवनेश्वर संस्करण में दिनांक 5.12.2025 को क्रमशः प्रकाशित किया गया था।

और, जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20घ के तहत निर्धारित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः, अब, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अधिग्रहित किया जाएगा;

और इसके आगे, उल्लिखित अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद् द्वारा घोषणा करती है कि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद, इसके साथ ही संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई भूमि पूर्णतया केन्द्र सरकार की हो जाएगी जो सभी अतिक्रमणों से मुक्त होगी।

अनुसूची

ओडिशा राज्य के मयूरभंज जिले में विशेष रेलवे परियोजना के रूप में “बांगरीपोसी- गोरुमहिसानी (85.60 कि.मी.) नई रेल लाइन” के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या रहित, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अनुक्रम संख्या	खाता संख्या	प्लट संख्या	किसम	प्लॉट क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	स्वामित्व की स्थिति	रैयत
1	3	574	सारद-I	0.0202	0.0202	निजी	कालू माझी, पि: सिंगराय माझी; जाति: सांताल; निवासी: सम्बर दफा
2	4	568	सारद-II	0.2833	0.0364	निजी	कृष्ण महान्त, बनमाली महान्त, पि: गोपी महान्त; खैरी महान्त, पति: गोपी महान्त; पूर्ण चन्द्र महान्त, प्रशाद महान्त, सुशील महान्त, पि: रडबु महान्त; शशि मणि महान्त, पति: रडबु महान्त; जाति: कुडमी; निवासी: गंडीदा
3		575	सारद-II	0.1619	0.1619	निजी	
4		576	सारद-I	0.2347	0.2347	निजी	
5	15	570	डाही-I	0.4371	0.1578	निजी	छुटाई माझी, पि: टुलका माझी; जाति: सांताल; निवासी: निजगाँव
6	37	577	सारद-II	0.1133	0.0769	निजी	बांक भूमिज, पि: मधु भूमिज; जाति: भूमिज; निवासी: सुंदल, थाना: गोरुमहिषाणी.
7		578	सारद-III	0.2347	0.0405	निजी	
8	70/12	571	सारद-III	0.2873	0.2347	निजी	सालह मारण्डी, पति: खेलाराम मारण्डी; गोविन्द मारण्डी, माइदि मारण्डी, पि: खेलाराम मारण्डी; जाति: संताल; निवासी: समरदफा.
9		572	सारद-II	0.2630	0.2550	निजी	
10		573	सारद-I	0.1133	0.1133	निजी	
कुल					1.3314		

[फा. सं. दपूरे/निर्माण-संगठन /मुख्यालय/भूमि/डीसीई/सी-II/केजीपी/एनएल/ बीजीवाई- गुमी /एसआरपी/ओडी /20ई/1]

हरि प्रकाश त्रिपाठी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[South Eastern Railway(Construction Organization)]

NOTIFICATION

Kolkata, the 24th August, 2026

S.O. 4708(E).— Whereas, by the Notification of the Government of India in the Ministry of Railways (South Eastern Railway/Construction Organization), number 4510, S.O.4639(E), dated 10th October 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) herein after referred to as the said notification issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989)(herein after referred to as the said Act), the Central Government, declared its intension to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “Bangriposi-Gorumahisani (85.60Km.) new line”, in the District of Mayurbhanj in the State of Odisha.

And, whereas, the substance of said notification number 4510, S.O.4639(E), dated 10th October 2025 was published in the daily newspapers, namely ‘SAMBAD’ (Odiya) on 04.12.2025 and ‘Times of India’(English) Bhubaneswar Edition on 05.12.2025 respectively under section (4) of section 20A of the said Act.

And, whereas, no objection was received by the competent authority within the period prescribed under section 20D of the said Act;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on this publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of land to be acquired with or without structures for Special Railway Project “Bangriposi - Gorumahisani (85.60 Km.) new line” in the District of Mayurbhanj in the State of Odisha.

A) Mouza: Haladibani, Police Station: Rairangpur, P.S. No.108, Tahasil:Rairangpur, Rural ,
District : Mayurbhanj, Odisha

Sl. No.	Khata No.	Plot No.	Kisam	Plot Area (in Hectare)	Area to be Acquired (in Hectare)	Status of Ownership	Rayat Name
1	3	574	Sarada-I	0.0202	0.0202	Private	Kalu Majhi, S/o Singrai Majhi; Caste: Santal; Res: Sambar Dafa.
2	4	568	Sarada-II	0.2833	0.0364	Private	Krishna Mohanta, Banamali Mohanta, S/o Gopi Mohanta; Khairi Mohanta, W/o Gopi Mohanta; Purna Chandra Mohanta, Prasad Mohanta, Sushil Mohanta, S/o Raibu Mohanta; Shashi Mani Mohanta, W/o Raibu Mohanta; Caste: Kudumi; Res: Gandida.
3		575	Sarada-II	0.1619	0.1619	Private	
4		576	Sarada-I	0.2347	0.2347	Private	
5	15	570	Dahi-I	0.4371	0.1578	Private	Chhutai Majhi, S/o Thuluka Majhi; Caste: Santal; Res: Nijgaon.
6	37	577	Sarada-II	0.1133	0.0769	Private	

7		578	Sarada-III	0.2347	0.0405	Private	Bank Bhumij, S/o Madhu Bhumij; Caste: Bhumij; Res: Sundhal, P.S.: Gorumahisani.
8	70/12	571	Sarada-III	0.2873	0.2347	Private	Salah Marndi, W/o Khelaram Marndi; Gobinda Marndi, Maidi Marndi, S/D/o Khelaram Marndi; Caste: Santal; Res: Samardafa.
9		572	Sarada-II	0.2630	0.2550	Private	
10		573	Sarada-I	0.1133	0.1133	Private	
TOTAL					1.3314		

[F. No. SER/CON-Orgn./HQ/Land/DCE/C-II/KGP/NL/BGY-GUMI/SRP/OD /20E/1]

HARI PRAKASH TRIPATHI, Chief Admin. Officer(Con)